

[2016] 2 एस. सी. आर 83

अलौली अंचल नाव यातायात सहयोगात्मक समिति लिमिटेड, फुल्टोरा एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2016 की दीवानी अपील सं.1853)

26 फरवरी, 2016

[टी. एस. ठाकुर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए. के. सिकरी और आर. भानुमती,

न्यायमूर्तिगण]

नीलामी - नीलामी-खरीद - चुनौती - औचित्य - नीलामी - घाट की - उच्चतम बोली राशि 16,00,000/- रुपये थी - हालांकि अपीलकर्ता-समिति ने नीलामी में भाग नहीं लिया - उच्चतम बोली पर इसकी राय मांगी गई थी - समिति ने रुपये के लिए बोली स्वीकार कर ली। 16,00,000- विरोध के अधीन - घाट का ठेका समिति को दिया गया - समिति ने घाट के बंदोबस्त के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा खुली बोली आमंत्रित करने के आदेश और बोली राशि को रिट याचिका दायर करके चुनौती दी - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मामले को पुनर्विचार के लिए अधिकृत प्राधिकारियों को भेज दिया - राज्य के एलपीए को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अनुमति दे दी - अपील पर, यह निर्णय दिया गया: मामले के तथ्यों को देखते हुए, घाटों के बंदोबस्त में बोली आमंत्रित करने की नीलामी प्रक्रिया को मनमानी या सरकारी परिपत्रों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता - 16,00,000 रुपये की बोली - के पीछे सबसे ऊँची बोली होने का तर्क था - विचाराधीन घाट एकमात्र घाट नहीं था जिसके लिए नीलामी आयोजित की गई थी - समिति ने अन्य घाटों के संबंध में और भी अधिक बोली राशि की पेशकश की थी और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया गया - इस प्रकार, नीलामी या बोली राशि को चुनौती देने का कोई उचित कारण नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित: अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन घाट की नीलामी का कारण यह था कि अंचल अधिकारी ने जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया था और पत्र सं. 2526 दिनांक 12.09.1978 के सरकारी निर्देशानुसार खुली नीलामी प्रक्रिया अपनाई थी, जो कि घाटों के बंदोबस्त के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष अनिवार्य है। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु, प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित करें और बोलियों की स्वीकृति में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। घाट के बंदोबस्त में बोलियाँ आमंत्रित करने वाली नीलामी प्रक्रिया को मनमाना या सरकारी परिपत्रों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। (कंडिका 9) (88-बी-सी)

2. नीलामी में, प्राप्त उच्चतम बोली 16,00,000/- रुपये की थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता-समिति बोलीदाता नहीं थी और उसने नीलामी में भाग नहीं लिया था। हालाँकि, फिर भी उसे 16,00,000/- रुपये के भुगतान पर घाट का निपटान अपने पक्ष में करने की पेशकश की गई थी, जो प्राप्त उच्चतम बोली थी। वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन विरोध के तहत बोली स्वीकार कर ली। नीलामी या उपरोक्त बोली राशि को चुनौती देने का कोई उचित कारण नहीं है। 16,00,000/- रुपये की राशि के पीछे एक तर्क था क्योंकि यह सबसे ऊँची बोली थी और इसलिए, 16,00,000/- रुपये में घाट का बंदोबस्त करने के लिए सहमत होने के बाद, अपीलकर्ता-समिति द्वारा बोलियाँ आमंत्रित करके घाट की नीलामी को चुनौती देना उचित नहीं था। इसके अलावा, विचाराधीन घाट वह अकेला घाट नहीं था जिसमें नीलामी हुई थी, बल्कि अन्य घाटों की भी नीलामी हुई थी और उनका बंदोबस्त बहुत अधिक राशि पर हुआ था। वास्तव में, अपीलकर्ता-समिति अन्य घाटों के लिए 20,00,000 रुपये की उच्चतम बोली राशि की पेशकश करने में सफल रही। अन्य घाटों के लिए भाग लेने और सफल बोलीदाता के रूप में उभरने के बाद, अपीलकर्ता-समिति द्वारा संबंधित घाट के लिए खुली बोलियों के माध्यम से नीलामी को चुनौती देना उचित नहीं है। खंडपीठ ने सही

कहा कि हर साल बोली की राशि बढ़ती जा रही है और इसलिए, न्यायालय को बोली की राशि के संबंध में ऐसे विवादित तथ्यों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। [कंडिका 9 और 151 188-डी-एफ; 90-ई]

3. अपीलकर्ता समिति का तर्क है कि सरकार के विभिन्न परिपत्रों के मद्देनजर, आरक्षित जमा राशि में ऊपर की ओर संशोधन पिछले वर्षों की आरक्षित जमा राशि/बंदोबस्त राशि का केवल पंद्रह प्रतिशत ही हो सकता है और विचाराधीन घाट के लिए 16,00,000/- रुपये की बोली राशि मनमानी और अनुचित है। जब खुली नीलामी प्रक्रिया से गुजरने का निर्णय लिया गया था, जो राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए अन्यथा भी उचित था, तो अपीलकर्ता-सोसाइटी उस पर आपत्ति नहीं कर सकती और पिछले वर्षों की आरक्षित जमा राशि/बंदोबस्त राशि का 15% भुगतान करने पर घाट के अपने पक्ष में बंदोबस्त का दावा नहीं कर सकती। वास्तव में, अपीलकर्ता-समिति के पास ऐसा कोई तर्क उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा नीलामी प्रक्रिया से गुजरने के निर्णय पर अपीलकर्ता-समिति द्वारा किसी भी न्यायिक कार्यवाही में कभी सवाल नहीं उठाया गया या उसे चुनौती नहीं दी गई। इसके विपरीत, उसने उत्तरदाताओं के प्रस्ताव पर तुरंत अमल किया और बोली स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही यह अनावश्यक शर्त भी रख दी कि वह इसे विरोध के तहत स्वीकार कर रहा है। इसलिए, अब वह यह तर्क नहीं दे सकता कि बोली की राशि पिछले वर्षों के आरक्षित जमा/निपटान का 15% होनी चाहिए थी। [कंडिका 10-11] [88-जी; 89-ए-सी]

4. वर्तमान मामले में, बंदोबस्ती तीन साल पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद अपीलकर्ता-समिति बंदोबस्ती के मूल्यांकन का पुनः आकलन करने के उद्देश्य से सरकार के निर्देशानुसार खुली बोली के आधार पर घाट का बंदोबस्ती करने के लिए बाध्य थी और खुली बोली की प्रक्रिया अपीलकर्ता-समिति द्वारा सही रूप से अपनाई गई थी जो सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक थी। [कंडिका 12] [89-एफ]

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील सं. 1853 वर्ष 2016

पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1457/2009 में दिनांक 15.12.2011 के निर्णय एवं आदेश से

अपीलार्थियों के लिए, सुभ्रो सान्याल, राम निबास पी. डी., अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए, शिवम सिंह, गोपाल सिंह, अधिवक्ता।

**आर. भानुमति, न्यायमूर्ति** 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 15.12.2011 को पारित आदेश का आक्षेप करती है, जिसमें लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1457/2009 को स्वीकार करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया गया था और समाहर्ता के दिनांक 16.10.2008 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें घुरंडेरा किलागराई घाट की नीलामी की गई थी और अपीलकर्ता-समिति को उक्त घाट की बंदोबस्ती के लिए वर्ष 2008-2009 के लिए शेष बोली राशि 10,80,000/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था।

3. वर्ष 2008-2009 के लिए घुरंडेरा किलागराई घाट की नीलामी हेतु अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा दिनांक 16.10.2008 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जिसमें आरक्षित जमा राशि 33,350/- रुपये निर्धारित की गई थी। नीलामी में तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया था, जिनमें सबसे अधिक बोली 16,00,100 रुपये, सुशी कुमार ने तथा ललन कुमार और श्री राम विलास यादव ने भी क्रमशः 5,00,000/- रुपये और 10,00,000/- रुपये की बोली में भाग लिया था। सुनवाई के समय, अपीलकर्ता-समिति, जो वहाँ उपस्थित थी, ने विरोध के साथ समझौता स्वीकार कर लिया और कुल बोली राशि का एक तिहाई जमा कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता-समिति ने वर्ष 2008-2009 के लिए खुली बोली को इस आधार पर वापस लेने की प्रार्थना की कि बोली की राशि बहुत अधिक थी और साथ ही पिछले वर्षों की तुलना में केवल पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि के साथ राशि निर्धारित करने और उत्तरदाता को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह भविष्य की किश्तों में जमा की गई

राशि को समायोजित करे। अपीलकर्ता-समिति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया; हालाँकि, अपीलकर्ता-समिति को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह बिना किसी और जमा या खुली बोली के, उसी निपटान राशि पर लगातार दो वर्षों के लिए अगले निपटान का लाभ उठा सकती है।

4. इसके बाद अपीलकर्ता-समिति ने रिट याचिका सं.3646/2009 दायर कर 16.10.2008 के उस आदेश को अभिखंडित करने की प्रार्थना की जिसमें 2008-2009 की अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से घुरंडेरा किलागराई घाट की बंदोबस्ती के लिए खुली बोली आमंत्रित की गई थी। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि बोली की राशि पिछले वर्षों में घाटों की बंदोबस्ती की जा रही राशि से बहुत अधिक थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया और मामले को खगड़िया के समाहर्ता के पास वापस भेज दिया, यह देखते हुए कि जिन लोगों ने बोली लगाई थी, वे वास्तव में बंदोबस्ती लेने में रुचि नहीं रखते थे और अपीलकर्ता-समिति ने विरोध स्वरूप घाट पर कब्जा कर लिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रों के आलोक में मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, उत्तरदाता-बिहार राज्य ने एलपीए सं. 1457/2009 में अपील दायर की, जिसे खंडपीठ ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अभिलेखों से पता चलता है कि हर साल बोली की राशि बढ़ती गई है और इस प्रकार न्यायालय को बोली राशि के संबंध में विवादित तथ्यों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है और यह अपीलकर्ता-समिति पर निर्भर है कि वह उपयुक्त मंच के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत करे।

5. अपीलकर्ता-समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभो सान्याल ने दलील दी कि घाट के लिए तय की गई 16,00,000/- रुपये की बोली राशि मनमानी है और पिछले वर्षों में तय की गई राशि से पंद्रह प्रतिशत अधिक मानकीकृत संशोधन से बहुत अधिक है और इसलिए उत्तरदाता राशि को पुनर्निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता-

समिति ने केवल विरोध के तहत बोली स्वीकार की थी और खंडपीठ इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि अपीलकर्ता-समिति ने अलौली के अंचल अधिकारी द्वारा घुरंडेरा किलागराई घाट की सार्वजनिक नीलामी को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था और विरोध के तहत एक तिहाई राशि जमा करना अपीलकर्ता के कानूनी अधिकार की स्वीकृति और छूट नहीं है।

6. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम सिंह ने तर्क दिया कि अलौली के अंचल अधिकारी ने न केवल जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु खुली मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के सरकारी पत्र के निर्देशानुसार कार्य किया है। उत्तरदाताओं ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता-समिति ने खुली बोली के माध्यम से निर्धारित राशि पर घाट का बंदोबस्त किया था और इस प्रकार अपीलकर्ता-समिति को बोली आमंत्रित करके घाट की नीलामी करने से रोका जाता है।

7. हमने प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. दिनांक 16.10.2008 की नीलामी सूचना के अनुसार, 27.10.2008 को घुरंडेरा किलागराई घाट की नीलामी हुई, जिसमें तीन व्यक्तियों ने भाग लिया और सबसे अधिक बोली 16,00,100 रुपये की लगी, जो सुशी कुमार नामक व्यक्ति ने लगाई थी। घुरंडेरा किलागराई घाट की नीलामी की कार्यवाही के अभिलेख (अनुलग्नक पी/आई 0) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नीलामी के समय, अपीलकर्ता-समिति वहाँ उपस्थित थी और उच्चतम बोली पर उसकी राय प्राप्त की गई थी और अपीलकर्ता-समिति ने तब उक्त घाट का बंदोबस्त विरोधस्वरूप ले लिया था। घुरंडेरा किलागराई घाट की नीलामी कार्यवाही के अभिलेख का प्रासंगिक भाग दिनांक 27.10.2008 इस प्रकार है:

"सबसे ऊंची बोली डाक वक्ता सं. 3 श्री सुशी! कुमार पुत्र श्री सत्य नारायण प्र. यादव, रियो गोविंदपुर नटोलिया साहेबपुर कमाल, बेगुसराय ने लगाई थी। बोली के समय

अलौली अंचल बोध यातायात समिति लिमिटेड, फूलवाड़ा, खगड़िया वहां उपस्थित थे।  
इस सबसे ऊंची बोली पर उनकी राय प्राप्त करें।"

आपत्ति के साथ लेने के लिए तैयार

एसडी/-"

यद्यपि अपीलकर्ता-समिति ने न तो नीलामी में भाग लिया था और न ही बोली प्रस्तुत की थी, फिर भी उच्च डाक पर अपीलकर्ता-समिति की राय प्राप्त की गई और अपीलकर्ता-समिति ने विरोध के तहत 16,00,000/- रुपये की बोली स्वीकार कर ली। यद्यपि, हमें इस बात का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अपीलकर्ता-समिति को अनुबंध क्यों दिया गया, जबकि उसने नीलामी में भाग नहीं लिया था या अपनी बोली प्रस्तुत नहीं की थी, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि सुशील कुमार, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाले थे और जिन्होंने 16,00,100/- रुपये की बोली लगाई थी, आगे नहीं आए और इन्हीं परिस्थितियों में अपीलकर्ता को उक्त घाट का ठेका उपरोक्त दर पर देने की पेशकश की गई थी। बहरहाल, सुशील कुमार, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाले थे, ने अपीलकर्ता-समिति के पक्ष में घाट के बंदोबस्त पर सवाल नहीं उठाया और इसलिए, इस कार्यवाहियों में ऐसे प्रश्न पर विचार नहीं किया जाना है। चूंकि अनुबंध अपीलकर्ता-समिति को दिया गया था और जहां तक उक्त अधिनिर्णय का संबंध है, किसी ने भी इसकी वैधता को चुनौती नहीं दी है, हमें केवल यह तय करने के लिए कहा गया है कि क्या अपीलकर्ता-समिति 16,00,000/- रुपये की निपटान बोली पर सवाल उठा सकती है, जिस पर घाट का निपटान अपीलकर्ता-समिति को दिया गया था।

9. अभिलेखों से यह पता चलता है कि उक्त घाट की नीलामी का कारण यह था कि अंचल अधिकारी, अलौली ने जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया था और पत्र सं. 2526 दिनांक 12.09.1978 के सरकारी निर्देशानुसार खुली नीलामी प्रक्रिया अपनाई थी, जो घाटों की बंदोबस्ती के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष अनिवार्य है। जिला स्तरीय

समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु, प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करें और बोलियों की स्वीकृति में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। घाट की बंदोबस्ती में बोलियां आमंत्रित करने वाली नीलामी प्रक्रिया को मनमाना या सरकारी परिपत्रों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। नीलामी में, प्राप्त उच्चतम बोली 16,00,000/- रुपये की है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता-समिति बोली लगाने वाली नहीं थी और उसने नीलामी में भाग नहीं लिया था। हालाँकि, फिर भी उसे 16,00,000/- रुपये के भुगतान पर घाट का निपटान अपने पक्ष में करने की पेशकश की गई थी, जो प्राप्त उच्चतम बोली थी। वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई लेकिन विरोध के तहत बोली स्वीकार कर ली। हमें नीलामी या उपरोक्त बोली राशि को चुनौती देने का कोई न्यायोचित कारण नहीं मिला। यदि अपीलकर्ता-समिति ने इनकार कर दिया होता, तो कार्रवाई का एकमात्र अन्य तरीका बोलियों को फिर से आमंत्रित करना था। 16,00,000/- रुपये की राशि के पीछे एक तर्क था क्योंकि यह सबसे ऊंची बोली थी और इसलिए, 16,00,000/- रुपये में घाट का निपटान करने के लिए सहमत होने के बाद अपीलकर्ता-समिति के लिए बोलियां आमंत्रित करके घाट की नीलामी को चुनौती देना उचित नहीं था। इससे भी अधिक, जब घुरंडेरा किलागराई घाट एकमात्र घाट नहीं था जिसमें नीलामी हुई थी, बल्कि अन्य घाटों की भी नीलामी हुई थी और बहुत अधिक राशि पर समझौता हुआ था।

10. अपीलकर्ता-समिति का तर्क है कि सरकार के विभिन्न परिपत्रों के मद्देनजर, आरक्षित जमा राशि में ऊपर की ओर संशोधन पिछले वर्षों के आरक्षित जमा/बंदोबस्त राशि का केवल पंद्रह प्रतिशत ही हो सकता है और विचाराधीन घाट के लिए 16,00,000/- रुपये की बोली राशि मनमानी और अनुचित है। अपीलकर्ता-समिति के अनुसार, आरक्षित जमा समिति ने वर्ष 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 के लिए घुरंडेरा किलागराई घाट के बंदोबस्त के लिए आरक्षित जमा राशि क्रमशः 28,750/- रुपये, 29,000/- रुपये और

33,500/- रुपये निर्धारित की थी।

11. उपरोक्त कारणों से, हमें उपरोक्त तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि जब खुली नीलामी प्रक्रिया से गुजरने का निर्णय लिया गया था, जो राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए अन्यथा भी न्यायोचित था, तो अपीलकर्ता-समिति उस पर आपत्ति नहीं कर सकती और पिछले वर्षों के लिए आरक्षित जमा/बंदोबस्त राशि के 15% के भुगतान पर घाट के बंदोबस्त का दावा अपने पक्ष में नहीं कर सकती। वास्तव में, अपीलकर्ता-समिति के पास ऐसा कोई तर्क उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा नीलामी प्रक्रिया से गुजरने के निर्णय पर अपीलकर्ता-समिति द्वारा किसी भी न्यायिक कार्यवाही में कभी सवाल नहीं उठाया गया या उसे चुनौती नहीं दी गई। इसके विपरीत, उसने उत्तरदाताओं के प्रस्ताव पर तुरंत अमल किया और बोली स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही यह अनावश्यक शर्त भी रख दी कि वह इसे विरोध के तहत स्वीकार कर रहा है। इसलिए, अब वह यह तर्क नहीं दे सकता कि बोली की राशि पिछले वर्षों के आरक्षित जमा/निपटान का 15% होनी चाहिए थी।

12. अपीलकर्ता ने संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के दिनांक 12.04.1982 के पत्र का हवाला दिया, जो गोपालगंज समाहर्ता को संबोधित था। इस पत्र में कहा गया था कि जलकर के विकास और मछली की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए जलकर की बंदोबस्ती में न्यूनतम पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि की जानी है। उक्त पत्र दिनांक 12.04.1982 जलकर और मत्स्य पालन-सह-मखाना के विकास से संबंधित है। इसी प्रकार, दिनांक 09.03.2002 के पत्र, जिस पर उच्च न्यायालय ने अपना आदेश आधारित किया था, में प्रावधान है कि घाटों की बंदोबस्ती केवल तीन वर्षों के लिए आरक्षित जमा के आधार पर की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, बंदोबस्ती तीन साल पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद अपीलकर्ता-समिति बंदोबस्ती के मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सरकार के निर्देशानुसार खुली बोली के आधार पर घाट का बंदोबस्ती करने के लिए बाध्य

थी और खुली बोली की प्रक्रिया अपीलकर्ता-समिति द्वारा सही रूप से अपनाई गई थी जो सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक थी।

13. इसी प्रकार, दिनांक 12.02.1981 का परिपत्र, जिसमें कहा गया है कि जलकर की बंदोबस्ती खुली बोली के माध्यम से करने के बजाय, इसे सहकारी समितियों को हर तीन साल में केवल मत्स्य-सह-मखाना से संबंधित सैरातों से ही कराया जाना चाहिए। उक्त परिपत्र के अवलोकन से यह देखा गया है कि जिला मत्स्य अधिकारी और उप-मंडल स्तर के मत्स्य अधिकारी भी समिति के सदस्य हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उक्त परिपत्र केवल मत्स्य-सह-मखाना के संदर्भ में है। लेकिन जहाँ तक वर्तमान मामले घुरंडेरा किलागराई घाट का संबंध है, यह जल आधार के माध्यम से लोगों और सामग्री के परिवहन के लिए घाटों की बंदोबस्ती से संबंधित है। उत्तरदाताओं का तर्क यह है कि अपीलकर्ता-समिति उच्च आर्थिक व्यवहार्यता से अच्छी तरह वाकिफ थी क्योंकि इन घाटों के माध्यम से, खगड़िया रेलवे स्टेशन से उनके निर्यात केंद्रों के लिए मक्का का परिवहन किया जा रहा है।

14. जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलकर्ता ने 16.10.2008 की नीलामी सूचना को पहले चुनौती नहीं दी है। 27.10.2008 की नीलामी के दिन, अपीलकर्ता-समिति उपस्थित थी और जब उच्चतम डाक पर उसकी राय प्राप्त की गई, तो अपीलकर्ता-समिति ने 16,00,000/- रुपये में घाट का बंदोबस्त स्वीकार कर लिया। हालांकि, अपीलकर्ता-समिति के लिए नीलामी सूचना को चुनौती देना और उत्तरदाताओं को जिला स्तरीय आरक्षित जमा समिति के निर्णय के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट की मांग करना संभव नहीं था। जैसा कि पहले बताया गया है, अंचल अधिकारी ने जिला स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और खुली मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई, जो खुली बोली प्रक्रिया के मूल्यांकन के बाद हर तीसरे वर्ष घाटों के बंदोबस्त के लिए अनिवार्य है।

15. ध्यान रहे, घुरंडेरा किलागराई घाट ही एकमात्र ऐसा घाट नहीं था जिसकी नीलामी हुई, बल्कि अन्य घाटों के लिए भी नीलामी हुई और बोली की राशि पिछले वर्षों में घाटों के

बंदोबस्त की गई राशि से कहीं अधिक हो गई। वास्तव में, अपीलकर्ता-समिति अन्य घाटों के लिए सबसे अधिक बोली राशि 20,00,000 रुपये लगाने में सफल रही। अन्य घाटों के लिए बोली में भाग लेने और सफल बोलीदाता के रूप में उभरने के बाद, अपीलकर्ता-समिति का घुरंडेरा किलागराई घाट के लिए खुली बोलियों को आमंत्रित करने वाली नीलामी को चुनौती देना उचित नहीं है। खंडपीठ ने सही कहा कि हर साल बोली की राशि बढ़ती जा रही है और इसलिए, न्यायालय को बोली राशि के संबंध में ऐसे विवादित तथ्यों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता।

16. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता-समिति ने केवल तीस प्रतिशत राशि जमा की है और अलौली अंचल अधिकारी द्वारा तीन नोटिस दिए जाने के बाद भी, शेष राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने दिनांक 23.03.2012 के आदेश द्वारा, आक्षेपित आदेश पर स्थगन देते हुए, अपीलकर्ता-समिति को 2,00,000/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया। उत्तरदाता अपीलकर्ता-समिति से देय राशि वसूलने के लिए अपीलकर्ता-समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

17. परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी जाती है तथा पक्षकारों को अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।